न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील सं 43/2020
जी.सी.एम.एस .संख्या:–2020/00076

(223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र जन्सीलाल जाति मीना उम्र 63 वर्ष निवासी आदलवाड़ा कलां तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर राजस्थान

.... .अपीलांट।

बनाम

1. कैलाश पुत्र देवपाल
2. विलास पुत्र देवपाल
3. भरतलाल पुत्र देवपाल
4. रूपचंद पुत्र देवपाल

जातियान मीणा निवासीयान ग्राम आदलवाड़ा कलां तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।

5. तहसीलदार तहसील चौथ का बरवाड़ा ।

.... रेस्पोडेन्टगण।

उपस्थित:–

1. श्री अशोक कुमार साहू अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता अधिवक्ता रेस्पो0 01, 03 व 04।
3. श्री पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 05।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 02 अनुपस्थित।

–::निर्णय::--

दिनांक 12.12.2022

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 38/13 बउनवान रामस्वरूप बनाम देवपाल वगैरहा में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2014 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी द्वारा एक वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् स्थाई [illegible] मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा द्वारा [illegible] में [illegible] का पेश किया कि वादीगण संयुक्त खातेदारी के विभाजन [illegible] इकरारनामा दिनांक 28.07.99 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:30:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

के अनुसार वादी के हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 377 पर अतिक्रमण करने पर आमदा है, प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। तत्पश्चात् मातहत अदालत ने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2014 पारित करते हुए वाद वादी बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष मियाद बाहर पेश की गई है।

3. अपील संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ग्राम आदलवाड़ा कलां तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर में स्थित कुल किता 22 रकबा 4.99 हेक्टेयर के 1/3 हिस्से के सहखातेदार है। इकरारनामा दिनांक 28.07.80 के अनुसार वादी खसरा नम्बर 677 तथा प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 676 पर काबिज है। परन्तु प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 677 की भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें कि वह खसरा नम्बर 677 पर न तो स्वयं और ना ही किसी दीगर व्यक्ति से वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत, मदाखलत उत्पन्न करें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पां० को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. अपील मीमों के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम पेश किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी रामस्वरूप की तरफ से मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा के समक्ष खसरा नम्बर 677 रकबा 0.20 हैक्टेयर पर स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया था। उस वाद पत्र को मातहत अदालत ने सन् 2014 में खारिज कर दिया। जिसकी जानकारी अपीलार्थी को वकील ने नही दी। अपीलार्थी स्वयं की निजी आर्थिक व अन्य परेशानियों के कारण दावें के बारे में समय पर संज्ञान नही ले पाया। अपीलार्थी को जब दावा खारिज होने का ज्ञान हुआ, तो तुरंत वकील की सहायता से निर्णय की नकल निकलवाकर यह अपील मियाद बाहर पेश की हैं। अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने मे देरी तथ्य की भूल की वजह से हुई है अपीलार्थी ने जानवूझकर अपील प्रस्तुत करने मे कोई देरी नही की है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 स्वीकार फरमाया जावें।

6. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

7. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के जवाब मे कथन है कि वादी द्वारा अपील लगभग 06 वर्ष बाद पेश की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिन प्रतिदिन के कारण अंकित नही किए [illegible] इसके अतिरिक्त जो कारण भी बताये गए है वे भी सिद्व नहीं हो सके है। अतः [illegible] धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज करते हुए अपील को मियाद बिंदु पर खारिज [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:30:58 IST
Reason: SelfAttested

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

8. इसके साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र की ताइद में प्रार्थना पत्र 041 आर 27 पेश किया गया है।

9. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा राशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

10. अधिवक्ता अपीलांट ने मुख्य बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मातहत अदालत ने प्रस्तुत मामले को अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजात पर गौर किये दिना ही उक्त आदेश पारित किया है। अपीलार्थी खसरा नम्बर 677 रकबा 0.20 हैक्टेयर मे बहैसियत खातेदार के रूप में दर्ज हैं। अपीलार्थी का ही उक्त आराजी पर कब्जा काश्त है। इसके बावत् अपीलार्थी की ओर से खसरा गिरदावरी मातहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गयी। रेस्पोडेन्टगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया और ना ही कोई जवाबदावा ही प्रस्तुत किया गया। मातहत अदालत द्वारा सीमा ज्ञान रिपोर्ट पर भी गौर नही फरमाया गया जबकि न्यायालय के आदेश से सीमा ज्ञान हुआ है जिसमें प्रतिवादीगणों ने लगभग 02 ऐयर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। तथा 6 मीटर पर पक्का निर्माण कर रखा है। यह सीमा ज्ञान रिपोर्ट से साबित है जिसका पीठासीन अधिकारी ने निर्णय मे कोई उल्लेख नही किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाईं जावें।

11. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने रेस्पो0 संख्या 01, 03 व 04 की ओर से कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण ने अपीलार्थी की खातेदारी भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नही कर रखा है। सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा होता है। इकरारनामा के आधार पर विधिक किया गया विभाजन विधि में मान्यता प्राप्त नही है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा द्वारा निर्णय सही किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

12. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

13. पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत् 2062–2072 वाके ग्राम आदलवाड़ा तहसील चौथ का बरवाड़ा के खाता संख्या 205 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:30:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

कुल किता 22 रकबा 4.99 हैक्टेयर में वादी अन्य खातेदारो के साथ 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है।

14. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 स्थाई निषेधाज्ञा के निम्न प्रावधान है:–

"(1) कोई अभिधारी, जिसकी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर के अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू–धारक अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किये जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा।"

इससे स्पष्ट है कि स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दो आवश्यक तथ्य है कि:–
(1) व्यक्ति रिकॉर्डेड खातेदार हो।
(2) व्यक्ति वाद दिनांक को भौतिक रूप से विवादित आराजीयात पर काबिज हो।

15. पैरा नम्बर–13 से स्पष्ट है कि वादी विवादित आराजीयात के 1/3 हिस्से में अन्य सहखातेदारों के साथ खातेदार काश्तकार है, जबकि प्रविवादियों/रेस्पोडेन्टगण का विवादित आराजीयात में रिकॉर्डेड खातेदार नही है। खसरा नम्बर 677 के कब्जे के संदर्भ में वादी द्वारा स्वयं, गवाह टीकाराम, बाबूलाल के शपथ पत्र पेश किए है। इन शपथ पत्रों के खण्ड़न में रेस्पोडेन्टगण/प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी या गवाह साक्ष्य पेश नहीं किए गए है। विधिक अनुसार एक रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार का कब्जा को विधि की मान्यता है और इसको वादी द्वारा स्वय एव गवाहो के शपथ पत्र द्वारा भी तस्दीक किया गया है। इससे साबित है कि विवादित आराजीयात पर वादी का ही कब्जा है। अदालत मातहत द्वारा "कब्जा" के संबंध में कोई विवेचन किए बिना व इकरारनामा के बारे में संक्षिप्त विवेचना किए ही वादी/अपीलांट का दावा खारिज किया गया है जो विधि के विरूद्व है। अदालत मातहत द्वारा खसरा नम्बर 677 रकबा 0.20 हैक्टेयर के बारे में यह निष्कर्ष कि **"वादी स्वयं अकेले ही इस आराजीयात का वाद पत्र पेश किया है जबकि भूमि सहखातेदारान की है, इससे यह जाहिर नही होता है कि वादी के हिस्से में कौनसी भूमि है।"** बिना साक्ष्यों के विवेचना किए ही निष्कर्ष निकाला है।

16. विवादित आराजीयात वादी व उसके भाइयों की सहखातेदारी की भूमि है। वादी द्वारा प्रस्तुत स्वयं का शपथ पत्र एवं अन्य दो गवाहान ने सशपथ द्वारा उक्त आराजीयात पर वादी का कब्जा माना है। यह भी कि वादी स्वयं अपने भाइयों की ओर से भी धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दावा लाने का अधिकार है क्योंकि विवादित आराजीयात सहखातेदारी की है। अदालत मातहत के विवेचन से प्रतिवादीगण को कब्जा किए जाने की स्वतंत्रता ...

उच्च अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:30:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

17. उपर्युक्त विवेचना अनुसार अपीलांट/वादी विवादित आराजीयात का सहखातेदार काबिज काश्तकार होने से एवं वाद दिनांक से पूर्व रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण का विवादित आराजीयात पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न होने से अपीलांट अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती हैं। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाडा का निर्णय दिनांक 30.07.2014 अपास्त किया जाता है। रेस्पोडेन्टगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि अपीलांट की आराजी खसरा नम्बर 677 वाके ग्राम आदलवाड़ा तहसील चौथ का बरवाड़ा में अपीलांट के कब्जे काश्त में न तो स्वयं, न ही अन्य किसी से दखलन्दाजी करावें। आदेश आज दिनांक 12.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावें।

12.12.22

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:30:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner